## न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 28/2018

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर | | 1 प्रकाश घांची पुत्र नेमीचंद घांची जाति तेली निवासी घांचियों का मोहल्ला, पुराना बाजार खींवसर<br>फर्मः– डी.आर.किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, खींवसर।<br>2 गोतम चंद पुत्र जंवरीमल निवासी महामंदिर जोधुपर।<br>फर्मः– शाह प्रसन्नचंद मुथा एण्ड कम्पनी, मंडोर मंडी जोधपुर। (फौत होने के कारण स्ट्राईक आउट किया गया)<br>3 सुरेन्द्र कुमार हुडिया पुत्र भंवरलाल हुडिया निवासी 149–50 ए शांतिप्रिय नगर कमला नेहरू अस्पताल के पास जोधपुर।<br>फर्मः– स्वास्तिक डेयरी प्रोडेक्ट, 8, 11th रोड, एमआईएस 2 फेज बासनी जोधपुर।<br>4 जितेन्द्र धाभाई पुत्र पुसाराम धाभाई निवासी–112 फतेहराम का टिब्बा ब्रह्मपुरी, जयपुर।<br>फर्मः– रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लि. सी–27/बी, इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–1 बासनी जोधपुर।<br>5 सुशील चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र रामचन्द्र श्रीवास्तव निवासी प्लॉट नम्बर 106, एलटीआर–8 वार्ड3/ए, बचपन स्कूल के पास, आदिपुर, गांधीधाम, जिला कच्छ, (गुजरात)<br>फर्मः– M/s Ruchi soya Industries Ltd., Survey No. 217/2, Village Mithi Rohar, Taluka-Gandhidham District- Kutch(Gujrat)<br>6 M/s Ruchi soya Industries Ltd., Survey No. 217/2, Village Mithi Rohar, Taluka-Gandhidham District- Kutch(Gujrat) |

**आदेश** दिनांक :27.03.2026

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 10-10-2017 को मैसर्स डी.आर.किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, खींवसर पर खाद्य रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (महाकोष ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 909 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/970/एक्ट/201/ 970 दिनांक 27.10.2017 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (महाकोष ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण प्रकाश घांची पुत्र नेमीचंद घांची जाति तेली निवासी घांचियों का मोहल्ला, पुराना बाजार खींवसर, सुरेन्द्र कुमार हुडिया पुत्र भंवरलाल हुडिया निवासी 149–50 ए शांतिप्रिय नगर कमला नेहरू अस्पताल के पास जोधपुर, जितेन्द्र धाभाई पुत्र पुसाराम धाभाई निवासी–112 फतेहराम का टिब्बा ब्रह्मपुरी, जयपुर, सुशील चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र रामचन्द्र श्रीवास्तव निवासी प्लॉट नम्बर 106, एलटीआर–8 वार्ड3/ए, बचपन स्कूल के पास, आदिपुर, गांधीधाम, जिला कच्छ, गुजरात तथा M/s Ruchi soya Industries Ltd., Survey No. 217/2, Village Mithi Rohar, Taluka-Gandhidham District- Kutch(Gujrat) ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 30-07-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 12.03.2022 को जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से श्री विक्रम जोशी अधिवक्ता ने दिनांक 13.06.22 को वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 13.09.22 को जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 से 06 की ओर से दिनांक 17.11.2025 को श्री भानुप्रताप सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा तथा जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने

27/3/-
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

मेरी फर्म से तेल का सैम्पल लिया जो मैंने शाह प्रसन्नचंद मुथा एण्ड कम्पनी मंडोर, जोधपुर से खरीदकर लाता था, जिस हालात में खरीदा था उस हालात में बचेता हूं। अब भविष्य में हमेशा देखकर खरीदूंगा तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या 03 किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का विनिर्माण नहीं करता है और न ही किसी भी प्रकार की पैकिंग ही करता हैं, अपने सामान्य अनुक्रम में जिस स्थिति में उतरदाता ने माल खरीद किया, उसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने माल प्राप्त किया था और इसके संबंध में आवश्यक बिल, प्रपत्र एवं सभी दस्तावेजात उन्हे उपलब्ध करवाये गये थे, जिससे अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्व मामला निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी संख्या 04 से 06 ने अपनी बहस में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने नमूना लेने के 17 दिनों के बाद जांच रिपोर्ट पेश की है जबकि इसकी समय सीमा निर्धारित अधिकतम 14 दिनों की होती है। नमूना मानक विनियमों के अनुरूप है, अतः इस आधार पर निम्न गुणवता का कोई मामला नहीं बनता और अतः खाद्य विश्लेषक की वह रिपोर्ट जिसके आधार पर न्यायनिर्णय के लिए यह आवेदन दायर किया गया है, वह खारिज किये जाने योग्य है।

3. वकील अप्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/970/एक्ट/201/ 970 दिनांक 27.10.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफाइण्ड सोयाबीन तेल (महाकोष ब्राण्ड) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 प्रकाश घांची पुत्र नेमीचंद घांची जाति तेली निवासी घांचियों का मोहल्ला, पुराना बाजार खींवसर पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 03 सुरेन्द्र कुमार हुडिया पुत्र भंवरलाल हुडिया निवासी 149–50 ए शांतिप्रिय नगर कमला नेहरू अस्पताल के पास जोधपुर पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 04 जितेन्द्र धाभाई पुत्र पुसाराम धाभाई निवासी–112 फतेहराम का टिब्बा ब्रह्मपुरी, जयपुर पर रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 05 सुशील चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र रामचन्द्र श्रीवास्तव निवासी प्लॉट नम्बर 106, एलटीआर–8 वार्ड3/ए, बचपन स्कूल के पास, आदिपुर, गांधीधाम, जिला कच्छ, गुजरात तथा अप्रार्थी संख्या 06 M/s Ruchi soya Industries Ltd., Survey No. 217/2, Village Mithi Rohar, Taluka-Gandhidham District- Kutch(Gujrat) पर संयुक्त रूप से रूपये 60,000/– अक्षरे साठ हजार रूपये, कुल रूपये 1,00,000/– अक्षरे एक लाख रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/3/

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)